



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127286

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 20443 / 2026

तरुण कुमार

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद दानिश

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री मोहम्मद दानिश और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी गई।
2. यह जमानत याचिका, वाद संख्या 568/2025 (भारतीय न्याय संहिता. की धारा 318(4), 123, 70(1), 351(2), 115(2) के अंतर्गत; थाना - मझोला, जिला - मुरादाबाद) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि पैसों के लेन-देन के विवाद को जानबूझकर गैंग रेप के प्रकरण का रूप दिया गया है। आरोप है कि सह-अभियुक्त रोहित सैनी ने पीड़िता के फंड से ₹1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का गबन किया था; इस धनराशि में उसकी अपनी कमाई और रिश्तेदारों से उधार लिए गए पैसे शामिल थे। आगे यह भी बताया गया कि आवेदक और सह-अभियुक्त रोहित सैनी और सुनील कुमार के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, रेप की कथित घटना 12.04.2025 को हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 17.06.2025 को दर्ज की गई थी। इस तरह, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में बहुत विलंब हुई है और पीड़िता



ने इस विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है। बिना किसी कारण के हुई इस विलंब से अभियोजन पक्ष के प्रकरण की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। आवेदक के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्त रोहित सैनी को इस न्यायालय की एक पीठ ने क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 14796/2026 में 11.5.2026 को दिए गए आदेश के अंतर्गत ज़मानत दे दी थी। उनका यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 19.5.2026 से कारावास में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत देने की याचिका का विरोध किया, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह के प्रकरण में शामिल एक सह-अभियुक्त, रोहित सैनी को इस न्यायालय की एक पीठ ने ज़मानत दे दी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपस्थित सामग्री को देखा है।

6. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्त रोहित सैनी को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने ज़मानत दे दी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को न तो रद्द किया है और न ही उस पर रोक लगाई है, और साथ ही आवेदक 19.5.2026 से कारावास में बंद है, इसलिए मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित लगता है।

7. ज़मानत की याचिका स्वीकार की जाती है।

8. याचिका देने वाले - तरुण कुमार, जो ऊपर बताए गए प्रकरण/अपराध में शामिल हैं, उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही धनराशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार देने होंगे, और साथ ही नीचे दी गई शर्तों का पालन करना होगा। इसके अलावा, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों की पुष्टि की जानी चाहिए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपास्थि हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। यदि इस



शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को विचारण न्यायालय में निर्धारित हर तारीख पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम उपास्थि रहना होगा। यदि वह बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपास्थि नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 229-A / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करता है, तो उसकी उपास्थिगी पक्की करने के लिए द0प्र0सं0 की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार भा0द0सं0 की धारा 174-A / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपास्थि रहना होगा: (1) वाद शुरू होने पर, (2) आरोप निर्धारित होने पर, और (3) द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज होने पर। यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहा है, तो विचारण न्यायालय इस त्रुटि को ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण जज को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

15 जून, 2026

फहद

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)